संख्या-4/2017/477/सत्तर-1-2017-16(114)/2010

प्रेषक,

मधु जोशी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2- निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक:11 अक्टूबर 2017

विषय:- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ सदस्यों की नियुक्ति के लिये निर्धारित अर्हता सम्बन्धी नियमन तथा उच्च शिक्षा के अन्तर्गत मानकों के व्यवस्थापन के लिये आवश्यक उपायों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत नियमन, 2010 के प्राविधानों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ सदस्यों की नियुक्ति के लिये निर्धारित अर्हता सम्बन्धी नियमन तथा उच्च शिक्षा के अन्तर्गत मानकों के व्यवस्थापन के लिये आवश्यक उपायों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत नियमन, 2010 के प्राविधानों को विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ सदस्यों के लिये कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम एवं इसके अधीन पदोन्नति हेतु विगत सेवाओं की गणना के सम्बन्ध में लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2840/सत्तर-1-2010 दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 तथा शासनादेश संख्या-377/सत्तर-1-2013-16(114)/2010 दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 निर्गत किये गये थे। उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 में कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम एवं इसके अधीन पदोन्नति हेतु विगत सेवाओं की गणना के सम्बन्ध में किये गये प्राविधान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत नियमन, 2010 के निर्गत होने की तिथि 30 जून, 2010 से लागू किया गया था।

2- विश्वविद्यालय के शिक्षकों की कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति में आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम एवं इसके अधीन पदोन्नति हेतु विगत सेवाओं की गणना के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत नियमन, 2010 के प्राविधान दिनांक 30 जून, 2010 के स्थान पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 से लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं। अर्थात ऐसे विश्वविद्यालय शिक्षक जिनकी प्रोन्नति दिनांक 28 मई, 2015 को अथवा उसके पूर्व देय है किन्तु उनके द्वारा रिफ्रेशर/ओरिएन्टेशन कोर्स 28 मई, 2015 के पश्चात किया गया है, को यू0जी0सी0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रेगुलेशन, 2010 के अन्तर्गत ए0पी0आई0 से छूट प्रदान करते हुये प्रोन्नति अनुमन्य होगी किन्तु रिफ्रेशर/ओरिएन्टेशन कोर्स पूर्ण करने की तिथि 31 दिसम्बर, 2017 अथवा इसके पूर्व हो।

3- उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या-2840/सत्तर-1-2010 दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 तथा शासनादेश संख्या-377/सत्तर-1-2013-16(114)/2010 दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन में कार्यवाही करते हुये शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम एवं इसके अधीन पदोन्नति हेतु विगत सेवाओं की गणना के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(मधु जोशी)
विशेष सचिव।

संख्या-4/2017/477 (1)/सत्तर-1-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश।
(2) कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(3) सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
(4) निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन को मा0 उप मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
(5) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
(6) समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) महामंत्री, लखनऊ विश्वविद्यालय, शिक्षक संघ, लखनऊ।
(8) गार्ड फाइल।

भवदीय,
(हरेन्द्र कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।